न्यायालय : श्री कपिल मेहता, सत्र न्यायाधीश, श्योपुर (म0प्र0)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 21/2026 संस्थापन दिनांक–26.05.2026
सी.एन.आर.नं.–एम.पी.31010024502026 फाईलिंग नं.–सीआर.आर 2160/2026

श्रीमती उषा शर्मा पति श्री मुकेश शर्मा
आयु–42 वर्ष, निवासी भूखण्ड क्रमांक–31
सेन कॉलोनी, शिव विहार, मुरलीपुरा
जयपुर (राजस्थान)

–पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त

विरूद्ध

महावीर शर्मा पुत्र बजरंगलाल शर्मा,
आयु–61 वर्ष निवासी मधुवन कॉलोनी,
बायपास मार्ग, श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

–प्रत्यर्थी–परिवादी

———————————————————————————

पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त द्वारा श्री आकाश तिवारी, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी–परिवादी द्वारा श्री पूरनब्रम्ह राठौर अधिवक्ता।

———————————————————————————

न्यायालयः सुश्री पूर्वी राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर के एस.सी.एन. आई.ए. प्रकरण क्रमांक 25/2021 महावीर शर्मा बनाम श्रीमती उषा शर्मा में पारित आदेश दिनांक 16.04.2026 से उद्भूत पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।

———————————————————————————

आदेश

(दिनांक 22.06.2026 को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त श्रीमती उषा शर्मा द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका, न्यायालय, सुश्री पूर्वी राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर

के एससी एनआईए प्रकरण क्रमांक 25/2021 महावीर शर्मा बनाम श्रीमती उषा शर्मा में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.04.2026 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा प्रश्नगत धनादेश पर किए गए हस्ताक्षर, धनादेश की लिखावट, सूचना प्राप्ति के दस्तावेजों की लिखावट की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच करवाए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 39 भारतीय साक्ष्य विधान निरस्त किया गया है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त श्रीमती उषा शर्मा द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 39 भारतीय साक्ष्य विधान इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत धनादेश, सूचना पत्र प्राप्ति अभियुक्त की हस्तलिपि में नहीं है और न ही प्रश्नगत धनादेश पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, अतः उक्त दस्तावेजों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच करवाए जाने का निवेदन किया गया है।

3. विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते हुए उक्त आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त की ओर से आवेदन मात्र प्रकरण में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है और प्रकरण में प्रस्तुत ज्ञापन अनुसार प्रश्नगत धनादेश पर हस्ताक्षर भिन्न होने से नहीं, अपितु अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित होना दर्शित होता है, जिससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. पुनरीक्षण याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि परिवादी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त के विरूद्ध रूपये 2,00,000/– का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रश्नगत धनादेश न तो आवेदक–पुनरीक्षणकर्ता द्वारा

हस्ताक्षरित है और न ही उसमें वर्णित हस्तलिपि उसकी है, पुनरीक्षणकर्ता अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता है, केवल हस्ताक्षर करना जानता है, उपरोक्त हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर में भिन्नता होने से उक्त दस्तावेजों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से परीक्षण करवाए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन विचारण न्यायालय ने बिना उचित कारण के निरस्त कर दिया है, जबकि प्रकरण वर्ष 2021 का है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अतः आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने एवं दांडिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पुनरीक्षण याचिका का विरोध करते हुए विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधिपूर्ण होना निरूपित करते हुए उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन किया है।

6. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि ***क्या विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 16.04.2026 विधि विरूद्ध अनुचित या अशुद्ध होकर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हस्तक्षेप योग्य है*** ?

7. आलोच्य आदेश से यह स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त श्रीमती उषा शर्मा द्वारा प्रश्नगत धनादेश पर उसके हस्ताक्षर की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय द्वारा विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने के आधार पर और बैंक के ज्ञापन अनुसार धनादेश पर हस्ताक्षर भिन्न न होने बल्कि संबंधित बचत खाते के बंद हो जाने के आधार पर अनादरित होना पाये जाने के कारण निरस्त किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा दर्शित कारण किसी भी

दशा में विधिसम्मत, उचित और युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता है क्योंकि पराक्रम्य लिखत अधिनियम धारा 138 के अंतर्गत अपराध के संबंध में प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त द्वारा धनादेश पर उसके हस्ताक्षर नहीं होने का अभिवाक लिए जाने की दशा में हस्ताक्षरों का परीक्षण हस्तलिपि विशेषज्ञ से कराए जाने के अतिरिक्त कोई उचित और प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है और हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं होने संबंधी अभिवाक और प्रतिरक्षा लिए जाने की दशा में इस आधार पर हस्ताक्षरों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराए जाने के निवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकता है कि बैंक द्वारा धनादेश हस्ताक्षरों में भिन्नता के आधार पर अनादृत नहीं किया गया है और आवेदन पत्र से विलम्ब कारित होने की संभावना है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **श्रीमती कल्याणी बास्कर विरूद्ध श्रीमती एम.एस. सम्पूरनम 2007 (2) एस.सी.सी. 258** तथा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **अभिषेक विरूद्ध रमेश 2012 (2) एम.पी.एच.टी. 19** में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय हैं।

8. इसके अतिरिक्त दांडिक प्रकरण में अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अधिकार अभियोगी–परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुति (मुख्य परीक्षण) के उपरांत प्रतिपरीक्षण का अवसर उपलब्ध होने पर उत्पन्न और उसी प्रकृम पर अभियुक्त की ओर से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः ऐसी दशा में हस्ताक्षरों के विशेषज्ञ से परीक्षण हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना नहीं माना जा सकता है।

9. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का आलोच्य

आदेश अशुद्ध, औचित्यहीन और विधिविरूद्ध होना प्रकट होता है एवं आलोच्य आदेश दिनांकित 16.04.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य होकर आलोच्य आदेश में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित है।

10. तदानुसार, विचारण न्यायालय के प्रकरण क्रमांक एस.सी.एन.आई.ए. 25/2021 में पारित आदेश दिनांकित 16.04.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांकित 16.04.2026 अपास्त किया जाता है।

11. विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्त श्रीमती उषा शर्मा द्वारा व्यय वहन किए जाने की दशा में प्रश्नगत धनादेश पर हस्ताक्षर का हस्तलिपि विशेषज्ञ से विधिवत परीक्षण करवाकर गुणदोष पर उभयपक्ष साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का विधिसम्मत यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

12. यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अनावश्यक और अनुचित विलम्ब कारित किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय विधि सम्मत् आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

13. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख प्रकरण क्रमांक 21/2021 एस.सी.एन.आई.ए. अविलंब पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

KAPIL MEHTA
Digitally signed by KAPIL MEHTA
Date: 2026.06.22 17:46:15 +0530

स्थानः श्योपुर, (म.प्र.)
दिनांक 22.06.2026

(कपिल मेहता)
सत्र न्यायाधीश, श्योपुर (म.प्र.)